

12-08-2014

आवेदिका अनुपस्थित। आवेदिका को बार-बार पुकार लगायी गयी। आवेदिका उपस्थित नहीं, आवेदिका का अधिवक्ता उपस्थित नहीं, ना ही बार-बार आदेश उपरांत तलवाना प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः ऐसी दशा में आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 125 द.प्र.सं. का उसकी अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम पंजी मे दर्ज हो।

प्रकरण विधिवत् अभिलेखागार भेजा जावे।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)